

पाह सं० - 04/2021

श्रीमती मसाना खासून

वकाफ

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
गोंडा

आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ता० से तक

जिला गोंडा वा० 04/ सन् 2021

केश का प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-15 के तहत प्रचलित अपील वाद की सुनवाई

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18/8/21	श्रीमती मसाना खासून, पंचापत - परसा, प्रखण्ड - महागामा - शिकारपत सं० - 232102057 00004 पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 की धारा -15 के तहत विधिवत सुनवाई करके इस आदेश पारित कर मामले का निष्पादन करने हेतु - अवगत सचिव, झारखण्ड राष्ट्रीय खाद्य आयोग, राँची के समक्ष पत्रांक - 503/रा० दिनांक - 06/8/21 द्वारा निवेदन प्राप्त हुआ है। अतः अतः प्राप्त निवेदन के आलाव में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोंडा को उक्त शिकारपत पर अवगत की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिक्रिया के साथ दिनांक - 30.08.21 को उपस्थित होने हेतु पत्र दिनांक केर।	1206/रा० 19/8/21

31/8/2021

आज दिनांक - 31/8/2021 को अगिलेख आ (न्यायित) दिनांक - 31/8/2021 को राजपत्रित अवकाश। रहने के कारण सुगवर्ष इच्छित। पुनः दिनांक 06-9-21 को सुगवर्ष हेतु अगिलेख रहे। तथा इसकी सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र निर्गत कर रहे हैं।

31/8/21

06/9/21

आज दिनांक - 06/9/2021 को अगिलेख आपूर्ति। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुमानित प्राप्तिशिकापत्र को निष्ठा एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोरखा को सूचित रहे। सुगवर्ष हेतु अगिलेख - 14/9/21 को रहे। उमय पदा को सूचित करें।

14/9/2021

उमय पदा उपलब्ध। शिकापत्र उरी के द्वारा निमित्त आवेदन समर्पित किया गया कि गोरखा गमन राशन कुंठ है जुड़ गया है। शिकापत्र को संवेद के को अग्रोप किया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गोरखा द्वारा पत्रांक - 933/जिआ० दिनांक 31/8/21 का शिकापत्र सं - 2321/020 5700004 का प्रविष्टन समर्पित किया है। प्रतिवेदन किया गया है कि सभी सदस्य को गमन जाड़े किया गया है। जोड़ गमन सदस्य की सूची को संलग्न किया गया है। निम्न अगिलेख की कार्यवाही शिकापत्र की जाती है।

ले

निर्गत